धारा-12.1.C

शिक्षा के अधिकार कानून,2009

शिक्षा कानून की धारा १२ का है ये प्रावधान
निजी स्कूलों में सबको शिक्षा मिले मुफ्त व समान !

ऑक्सफैम इंडिया
OXFAM
India

CENTRE FOR SOCIAL EQUITY AND INCLUSION
CSEI

Centre for Social Equity & Inclusion,New Delhi

शिक्षा अधिकार कानून, 2009 की धारा–12.1.C, दिल्ली राज्य

प्रश्नोत्तरीपुस्तिका

Centre for Social Equity & Inclusion, New Delhi

शिक्षा अधिकार कानून, 2009 की धारा–12.1.C, दिल्ली राज्य– प्रश्नोत्तरी

©Centre for Social Equity & Inclusion, New Delhi

Concept & Design – Chandrakanta Bharti

Printing- ABHA PUBLICITY, New Delhi-5

Published By- Centre for Social Equity & Inclusion, New Delhi

Supported by – Oxfam India

नं.	विषय सूची	पेज संख्या
1.	आरटीई कानून 2009, पृष्ठभूमि, प्रावधान	5-6
2	विषय परिचय	7
3.	धारा-12 सम्बंधित प्रश्नोत्तरी	8-16
4.	सम्बंधित प्रावधानों पर काम करने व सहयोग करने वाली संस्थाएं	17
5.	दिल्ली जिला निदेशक कार्यालय के पते	17
6.	ज्यादातर इस्तेमाल किये जाने वाले संकेताक्षर	18-19
7.	उपयोगी वेबसाईटों की सूची	20-21

- **आरटीई कानून 2009, पृष्ठभूमि, प्रावधान**

  निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2009 भारतीय संसद द्वारा सन् 2009 में पारित शिक्षा संबंधी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। 86वें संसोधन द्वारा 21-क में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह कानून अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है।

- **मुख्य प्रावधान**

  - बच्चों को मुफ़्त शिक्षा मुहैया कराना राज्य और केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी होगी।
  - पहली से आठवीं तक 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ़्त शिक्षा मिलेगी।
  - विकलांग बच्चों के लिए मुफ़्त शिक्षा के लिए उम्र बढ़ाकर 18 साल रखी गई है।
  - बच्चों के प्रति बिना किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह के समान शिक्षा मिलेगी।
  - बच्चों को भय मुक्त व भेदभाव रहित शिक्षा मिलेगी।
  - शिक्षा से वंचित रह गए बच्चे व ड्राप आउट बच्चों को उम्र अनुसार कक्षा में शिक्षा की प्रक्रिया से जोड़ने का उत्तरदायित्व सरकार का है।
  - स्कूल पाठ्यक्रम देश के संविधान की दिशानिर्देशों के अनुरूप और सामाजिक ज़िम्मेदारी पर केंद्रित होगा।
  - स्कूल केपिटेशन फ़ीस की मांग नहीं करेगा।
  - बच्चों और माता-पिता का कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा।
  - बच्चों की स्क्रीनिंग और अभिभावकों की परीक्षा लेने पर 25 हजार का जुर्माना होगा दोबारा गलती दोहराने पर जुर्माना 50 हजार।
  - बच्चे को किसी भी प्रकार का शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दिया जायेगा।

- बच्चो को मध्याह्न भोजन दिया जायेगा।
- बच्चो को शिक्षा से सम्बंधित पत्येक प्रकार की सामग्री स्कूल से प्रदान किया जायेगा जैसे –छात्रवृत्ति, किताबें व स्कूल यूनिफार्म, खेल सामग्री इत्यादि।
- बच्चो को कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी ना ही फेल किया जायेगा।
- शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे।
- गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में कुल सीटों के 25% आर्थिक रूप से कमज़ोर व वंचित समुदाय के बच्चों को मुफ्त प्रवेश देना होगा।
- 25% आर्थिक रूप से कमज़ोर व वंचित समुदाय के बच्चों से फीस वसूलने पर दस गुना जुर्माना होगा। शर्त न मानने पर स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती है।
- मान्यता निरस्त होने पर स्कूल चला तो 1 लाख और इसके बाद रोज 10,000 जुर्माना लगेगा।
- अल्पसंख्यक स्कूल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस प्रावधान के अंतर्गत नहीं आते हैं।

विषय परिचय

निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत पड़ोस के समस्त गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी स्कूल विद्यालयों में वंचित व आर्धिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चो को प्राथमिक / शुरूआती कक्षा (नर्सरी, केजी, कक्षा-1) में कुल सीटों का 25% प्रवेश का प्रावधान है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-15, 29, 46 व 38, के अनुसार सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चो के लिये शिक्षा के विशेष प्रावधान सरकार द्वारा करने के निर्देश किये गए हैं। अत: शिक्षा के अधिकार 2009 की धारा-12 (1) (ग) इन्ही निर्देशों के अंतर्गत एक प्रावधान है ।

शिक्षा के अधिकार 2009 की धारा-12 (1) (ग) को बनाने के पीछे सरकार की मंशा है कि इस देश के गरीब व वंचित समुदाय व आर्थिक व सामाजिक रूप से सुविधा संपन्न बच्चे तीन साल की छोटी सी उम्र से साथ में पढ़े और सीखे। धीरे- धीरे साथ बड़े होते हुए एक दूसरे की परिस्थिति व समस्याओं को समझे, साथ में उनका हल निकालें तथा एक दूसरे की योग्यतनों की सराहना करें। जिससे कि भविष्य में संवैधानिक मूल्य जैसे- समता, समानता व स्वतंत्रता के साथ भविष्य में बेहतर भारत के बेहतर नागरिकों की कल्पना की जा सके ।

धारा-12 सम्बंधित प्रश्नोत्तरी

1. शिक्षा अधिकार कानून क्या है ?

यह भारत का एक महत्त्वपूर्ण कानून है जो 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का वादा करता है ।

2. धारा 12 1 का क्या मतलब है ?

शिक्षा के कानून के अंतर्गत एक धारा 12 1 C है जिसके माध्यम से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (गरीब) और वंचित समुदाय के बच्चों को निजी (प्राइवेट) स्कूलों में शुरूआती कक्षा में कुल सीटों का कम से कम 25 प्रतिशत प्रवेश पाने और 8वीं तक मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार है ।

3. ये प्रावधान सरकार ने क्यों किया है ?

इस प्रावधान को बनाने के पीछे सरकार की मंशा थी कि इस देश के गरीब व वंचित समुदाय व सुविधा संपन्न बच्चे तीन साल की छोटी सी उम्र से साथ में पढ़े और सीखे और धीरे-धीरे साथ बड़े होते हुए एक दूसरे की समस्याओं को समझें तथा साथ में उनका हल निकालें जिससे की भविष्य में संवैधानिक मूल्यों जैसे समता समानता व स्वतंत्रता के साथ एक बेहतर नागरिकों की कल्पना की जा सके।

4. बिना फीस के निजी स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई कैसे हो सकती है?

बच्चों की पढाई से सम्बंधित खर्चा सरकार स्कूल को देगी इस प्रकार अभिभावकों को फीस नहीं देनी पड़ेगी ।

5. ये पच्चीस प्रतिशत क्या है ?

25 प्रतिशत का मतलब प्रत्येक निजी स्कूल को अपने स्कूल में शुरूआती कक्षा (नर्सरी, के.जी., कक्षा-1) में कुल सीटों का कम से कम 25% वंचित वर्ग व आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिये रिजर्व करना होगा ।

6. ई.डब्लू. एस. (EWS) का क्या मतलब है ?

दिल्ली राज्य में ई.डब्लू.एस. (EWS) का मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब जिन अभिभावकों की वार्षिक कमाई 1 लाख रूपये से कम है वे ई.डब्लू. एस. वर्ग में आएंगे चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, या समुदाय के हों । अन्य राज्यों की परिभाषा व मापदंड अलग- अलग हैं ।

7. डी. जी./ डी ए (क) / DA) वर्ग का क्या मतलब है ?

दिल्ली राज्य डी. जी./ डी ए का मतलब है डिसअडवानटेज या वंचित वर्ग मतलब सामाजित रूप से पिछड़ा वर्ग जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग , विकलांग, तृतीय लिंग , अनाथ व बेघर लोग आएंगे । अन्य राज्यों की परिभाषा व मापदंड अलग- अलग है।

8. ई.डब्लू.एस. और डी जी वर्ग में क्या अंतर है ?

दिल्ली राज्य में ई.डब्लू.एस. वर्ग का वर्गीकरण वार्षिक आय के आधार पर किया गया है जबकि वंचित वर्ग / डी जी वर्ग का आधार सामाजिक रूप से पिछड़े व अलाभित समूह के लोगों से है।

9. स्कूल में सीटें कितनी हैं ये कहाँ से, और कैसे पता चलेगा ?

दिल्ली के प्रत्येक निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के पब्लिक नोटिस बोर्ड पर तथा जिले के शिक्षा विभाग की वेबसाईट व पब्लिक नोटिस बोर्ड पर कुल सीटों से सम्बंधित सूचना स्पष्ट रूप से मिलेगी। जिसको देना शिक्षा के अधिकार 2009 की धारा-4 के हिसाब से भी ज़रूरी है।

10. ऑन लाइन एड्मीशन का क्या मतलब है ?

ऑन लाइन एड्मीशन का मतलब है कि अब इच्छुक अभिभावक कम्प्यूटर एवं इंटरनेट की मदद से बच्चे के प्रवेश के लिये आवेदन कर सकते हैं । इसके लिये अब अलग अलग स्कूलों में जाकर लाइन लगाकर आवेदन पत्र लेना व हर स्कूल में जाकर जमा नहीं करना होगा ।

11 क्या कई स्कूलों में आवेदन करना हो तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा ?

एक ही बार रजिस्टर करके पड़ोस के जितने चाहे उतने मनपसंद स्कूलों में आवेदन कर सकते है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा ।

12. ऑन लाइन एड्मीशन में कागजात कैसे जमा करेंगे ?

ऑन लाइन आवेदन करते समय कागजों का सिर्फ ब्योरा देना होगा लॉटरी में नाम आ जाने पर सम्बंधित स्कूल में दाखिले के समय कागज़ जमा करने होंगे ।

13. कागजात न होने पर कैसे आवेदन करेंगे ?

यदि कागज़ बनवाने के लिये अप्लाई किया है तो उसकी रसीद नंबर से भी आवेदन कर सकते हैं और दाखिले के समय तक कागज बनवा कर प्रस्तुत कर सकते हैं ।

14. लाटरी कैसे होगी ?

सभी बच्चो के राज्य द्वारा निश्चित तिथि तक आवेदन हो जाने पर तय तिथि पर राज्य शिक्षा विभाग कार्यालय जिला प्रवेश निगरानी समिति की निगरानी में कम्प्यूटर लॉटरी का आयोजन होगा । उसके बाद लिस्ट ऑन लाइन तथा विभाग में जारी कर दी जाएगी ।

15. स्कूल में एडमिशन हो गया इसका पता कैसे चलेगा ?

लॉटरी हो जाने के बाद लिस्ट में बच्चे के नाम को नामांकन नंबर द्वारा देखा जा सकता है तथा आवेदन पत्र में अभिभावकों द्वारा दिए गए फोन नम्बर पर एसएमएस द्वारा भी चयन होने की सूचना आ जाएगी ।

16. ऑफ लाइन एड्मीशन का क्या मतलब है ?

ऑफ लाइन एड्मीशन का मतलब वो स्कूल जो ऑन लाइन प्रक्रिया की दिल्ली सरकार द्वारा सूची में नहीं हैं लेकिन शिक्षा कानून के अंतर्गत आते हैं वहां पर अभिभावक सीधे जाकर सभी कागजों के साथ स्वयं भरकर आवेदन जमा करा सकते हैं । परन्तु ऑफ लाइन एड्मीशन में प्रत्येक स्कूल के लिये अलग अलग आवेदन करना होगा ।

17. क्या नगर निगम के स्कूल भी इस दायरे में आएंगे ?

इस दायरे में नगर निगम के भी वो सभी स्कूल आयेंगे जो शिक्षा के कानून के अंतर्गत पंजीकृत हैं, वहां भी 25 % प्रवेश होंगे परतु प्रवेश प्रक्रिया ऑफ लाइन ही होगी ?

18. ऑफ लाइन प्रवेश प्रक्रिया में लॉटरी कैसे होगी ?

शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत आने वाले दिल्ली सरकार के वे स्कूल जो ऑन लाइन प्रक्रिया सूची में नहीं हैं व नगर निगम के स्कूल जो शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत आते हैं सभी स्कूलों में ऑफ लाइन लॉटरी प्रक्रिया होगी जो हर स्कूल में अलग अलग शिक्षा विभाग के सम्बंधित अधिकारी तथा अभिभावकों की उपस्थिति में होगी व चयनित बच्चों की लिस्ट स्कूल तत्काल जारी करेगा ।

19. किस समय दाखिले होंगे ?

प्रत्येक वर्ष दिल्ली राज्य में धारा–12 1 की आवेदन प्रक्रिया व दाखिले दिसंबर से अप्रैल के बीच में किये जाते हैं ।

20. इन दाखिलों के लिये स्कूल में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी सीटे रिज़र्व होंगी ?

कानून प्रत्येक निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल में स्कूल की प्रारंभिक कक्षा (नर्सरी, केजी, पहली) में कम से कम कुल सीटों का 25% इस प्रावधान के लिये रिज़र्व करना होगा, स्कूल 25% से ज्यादा भी कर सकता हैं ।

21. इसमें प्रवेश के लिये कौन से स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं ?

इसमें प्रवेश के लिये राज्य के सभी निजी मान्यता प्राप्त व गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं । बल्कि अन्य स्कूल जैसे कि केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय, सैनिक स्कूलों भी 25 % नि: शुल्क प्रवेश व शिक्षा प्रदान करेंगे।

22. क्या ये प्रावधान सरकारी स्कूलों, अल्पसंख्यक स्कूलों क्या मोहल्ले के स्कूल पर भी ये लागू होगा ?

अल्पसंख्यक स्कूल जैसे- सिख, इसाई, पारसी, इस्लाम या अन्य कोई धर्म प्रधान स्कूल या भाषा प्रधान स्कूलों पर यह लागू नहीं होगा । स्कूल जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं वह भी ये लागू नहीं होगा ।

12 अप्रैल 2012 को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये 25% आरक्षण गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं होता है बल्कि सहयता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों भी इस प्रावधान के दायरे में नहीं आते हैं ।

23. क्या दिल्ली के जिन अल्पसंख्यक स्कूलों को सरकारी जमीन मिली है वो इस प्रावधान के तहत दाखिले करेंगे ?

दिल्ली के जिन भी अल्पसंख्यक स्कूलों को सरकारी जमीन मिली है उनको दिल्ली सरकार द्वारा संचालित फ्रीशिप कोटा के तहत 20% प्रवेश देना होगा ।

24. क्या रिहाइशी स्कूल व बोर्डिंग स्कूल भी 25% तक प्रवेश देंगे ?

नहीं, बोर्डिंग या आवासीय विद्यालय है कक्षा 1 के बाद छात्रों को प्रवेश देते हैं इसलिए ये प्रावधान बोर्डिंग या आवासीय विद्यालय पर लागू नहीं होता है।

25. क्या प्ले स्कूल भी इस प्रावधान के तहत बच्चों का एडमिशन करेंगे ?

प्ले स्कूल भी दिल्ली राज्य में इन प्रावधान के अंतर्गत आते हैं!

26. प्रवेश के लिये ज़रूरी कागजात क्या क्या हैं ?

इस प्रावधान में प्रवेश के लिये आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण, आवास प्रमाण, स्वास्थ्य प्रमाण, बेघर या अनाथ प्रमाण ।

27. किसको कौन सा कागज लगाना हैं ?

ई.डब्लू.एस. / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण, आवास प्रमाण

डी.जी. वर्ग को जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण, आवास प्रमाण

विकलांग को विकलांगता प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण, आवास प्रमाण

तृतीय लिंग को तृतीय लिंग प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण, आवास प्रमाण

बेघर या अनाथ प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण, आवास प्रमाण

28.कागजात कैसे और कहाँ से बनवा सकते हैं ?

- जाति प्रमाण पत्र – जिला एस.डी.एम. ऑफिस / राजस्व विभाग, दिल्ली व अन्य राज्य के मामले में सक्षम अधिकारी
- आय प्रमाण के लिये BPL कार्ड पीला / गुलाबी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड, BPL कार्ड आवेदन का रजि. नंबर
- जन्म प्रमाण पत्र– आंगनवाडी /सम्बंधित अस्पताल
- आवास प्रमाण पत्र जिला एस.डी.एम. ऑफिस / राजस्व विभाग, दिल्ली
- विकलांग प्रमाण, तृतीय लिंग प्रमाण – चिकित्सा प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार विभाग द्वारा
- बेघर या अनाथ प्रमाणपत्र महिला व बाल विभाग से जारी प्रमाण पत्र
- उक्त कागजों को बनवाने के लिये सम्बंधित विभाग को ऑन लाइन भी आवेदन कर सकते हैं ।

29. हमारे पास कोई भी कागज़ात नहीं है तो क्या करना होगा ?

आवेदन रसीद नंबर के साथ भी आवेदन कर सकते हैं दाखिले के समय कागज जमा कर सकते हैं।

30. हमारे गांव के कागज़ लगा सकते हैं ?

नहीं गांव के कागज नहीं लगा सकते बल्कि गांव के कागज के आधार पर सम्बंधित विभाग से दिल्ली से जारी कागज बनवायें।

31. आवेदन पत्र कहाँ से मिलेगा ?

ऑफ़ लाइन के लिये आवेदन पत्र दिल्ली सरकार की शिक्षा विभाग की वेबसाईट से या शिक्षा विभाग के ऑफिस से व स्कूल से मुफ्त में मिलेगा ।

32. आवेदन पत्र का मूल्य क्या होगा ?

आवेदन पत्र बिना किसी पैसे के ही उपलब्ध होगा ।

33. प्रवेश स्तर (एंट्री लेबल) का क्या मतलब है ?

एंट्री लेबल का मतलब है की इस प्रावधान से सम्बंधित दाखिला स्कूल की शुरूआती कक्षा में ही हो सकता है जिस भी कक्षा से स्कूल में दाखिला की शुरुआत होती हैं ।

34. प्रवेश कक्षा (एंट्री क्लास) का क्या मतलब है ?

एंट्री क्लास का मतलब स्कूल की जो भी सबसे पहली कक्षा है वो कक्षा नर्सरी, केजी या पहली कक्षा हो सकती हैं या तीनो भी हो सकती है। पहली के बाद की किसी भी कक्षा में इन प्रावधान के अंतर्गत प्रवेश नहीं लिया जा सकता है ।

35. स्कूल से कितनी भी दूर रहते हों आवेदन कर सकते हैं ?

स्कूल आवेदन लेने से मना नहीं कर सकते चाहे कितनी दूरी से सभी आवेदन किया जाये लेकिन कानून के हिसाब से छंटनी के समय स्कूल पहली प्राथमिकता 1 किमी के दायरे के आवेदन फिर 2 से 3 किमी फिर 4 से 6 फिर 6 से 8 और फिर उसके बाद की दूरी के आवेदन का चुनाव करेंगे ।

36. पड़ोस के स्कूल का क्या मतलब है ?

पड़ोस के स्कूल का मतलब 1 किलोमीटर के दायरे के स्कूल उसके पश्चात् 2 से 3, फिर 4 से 6 तथा फिर 6 से 8 किलोमीटर के दायरे के स्कूल ।

37. किस उम्र तक के बच्चों आवेदन किया जा सकता है ?

आवेदन के लिये बच्चों की न्यूनतम उम्र 3 साल तथा अधिकतम 5 साल होगी । विकलांग बच्चो के लिये उम्र सीमा में परिस्थिति व डॉक्टर की सलाह के हिसाब से छूट होगी।

38. 8 साल के बच्चे का आवेदन किया जा सकता है ?

क्योंकि इस प्रावधान में बच्चे का प्रवेश 3 से 5 साल के अंदर के बच्चे का ही आवेदन किया जा सकता है।

39. प्रवेश के बाद किस कक्षा तक मुफ्त पढ़ाई मिलेगी ?

शुरूआती कक्षा (नर्सरी, केजी, कक्षा-1) से लेकर आठवीं कक्षा तक मुफ्त पढ़ाई मिलेगी।

40. आवेदन कहाँ जमा करेंगे ?

आवेदन स्कूल में जाकर और ऑन लाइन इन्टरनेट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा कर जमा किये जा सकते हैं ।

41. इस प्रावधान में कौन-कौन आवेदन कर सकते हैं ?

इस प्रावधान में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गैर क्रीमी लेयर पिछड़ा वर्ग, विकलांग, बेघर, अनाथ , तृतीयलिंग सम्बंधित बच्चे आवेदन कर सकते हैं ।

42. प्रवेश प्रक्रिया क्या होगी ?

प्रवेश प्रक्रिया में ऑन लाइन व ऑफ़ लाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं, आवेदन के बाद निश्चित तय तिथि पर लॉटरी की जाएगी। चयनित बच्चों का स्कूल में दाखिला होने के बाद दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी और यही प्रक्रिया सीटें बचने पर जारी रहेगी ।

43. आवेदन के समय यदि कुछ समस्या है तो कहाँ शिकायत कर सकेंगे ?

ऑन लाइन आवेदन सम्बंधित शिकायत के लिये ऑन लाइन शिकायत प्रक्रिया मौजूद है वहाँ शिकायत कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त ऑन लाइन व ऑफ़ लाइन आवेदन सम्बंधित कोई भी शिकायत सीधे जिला शिक्षा विभाग ऑफिस में जाकर भी लिखित रूप में की जा सकती है । इसके अतिरिक्त NCPCR व SCPCR में भी शिकायत की जा सकती है ।

44. क्या दिल्ली में शिकायत सम्बंधित विशेष प्रावधान है ?

दिल्ली में धारा-12 (1)(ग) के प्रवेश समस्याओं से सम्बंधित शिकायतों के लिये शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान किया गया है जहाँ प्रवेश सम्बंधित शिकायतों का निवारण 7 दिनों के अंदर किया जायेगा। ये शिकायत दिल्ली निदेशालय की वेबसाईट पर जाकर दर्ज कराई जा सकती है ।

45. क्या स्कूल में माता पिता या अभिभावक या बच्चों का इंटरव्यू होगा ?

स्कूल में दाखिले के समय माता-पिता या अभिभावकों या बच्चों का का कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा।

46. किताबों और स्कूल ड्रेस का खर्चा कौन देगा ?

किताबें और स्कूल ड्रेस स्कूल से मिलेंगी।

47. एस.सी.एस.टी.ओ.बी.सी, मुस्लिम या विकलांग बच्चों को छात्रवृत्ति (स्कालरशिप) मिलेगी ?

आरटीई अधिनियम प्रवेश करने के अलावा छात्रों की स्कूलों वर्दी के सभी खर्चों, पाठ्य पुस्तकों आदि स्कूल द्वारा प्रदान करती हैं पर फिर भी छात्रों को अन्य खर्चे होते

हैं। तो 25% कोटा के तहत दाखिला लेने वाले बच्चो के लिये छात्रवृत्ति की व्यवस्था है जो दोनों सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होती है । ये छात्रवृत्ति SC, ST, OBC, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौध, पारसी,जैन आदि के लिये है ।

48. क्या प्रत्येक राज्य में छात्रवृत्ति के प्रावधान एक जैसे ही हैं ?

छात्रवृत्ति आवेदन निम्न वेबसाईट पर- https://scholarships.gov. पद/ से ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है। परन्तु छात्रवृति का प्रावधान विभिन्न राज्यों में अलग अलग है।

49.अल्पसंख्यक बच्चों की छात्रवृत्ति के विषय में क्या प्रावधान है ?

मान्यता प्राप्त निजी प्राइवेट स्कूल में धारा-12(1)(ग), 25% के तहत प्रवेश पाने वाले बच्चो के लिये अल्पसंख्यक आयोग ने छात्रवृत्ति के निश्चित प्रावधान किये हैं, जिसके तहत अल्पसंख्यक बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

50. क्या स्कूल दूर होने पर बच्चे को स्कूल आने जाने (परिवहन) का खर्चा मिलेगा ?

बच्चे के परिवहन का खर्चा स्कूल नहीं देता है ।

51. कम दूरी के बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता क्यों दी जाती है ?

प्रवेश प्रक्रिया में पहली प्राथमिकता में 1 किलोमीटर के दायरे के बच्चे होते हें ताकि बच्चों को परिवहन की आवश्यकता न हो और छोटे बच्चों को इतनी दूरी की यात्रा न करनी पड़े ।

52. स्कूल में पढ़ाई के अलावा होने वाली गतिविधियाँ और पिकनिक आदि खर्चे का क्या होगा ?

स्कूल में पढाई के अलावा होने वाली अन्य गतिविधियाँ व खर्चे स्कूल ही करेंगे ।

53. क्या आय (इनकम) प्रमाण और जाति प्रमाण हर साल बनवा कर स्कूल को देना होगा ?

दाखिले के समय ही केवल जाति प्रमाण और आय प्रमाण पत्र देना होगा बाद में हर साल मात्र स्वयं घोषणा पत्र ही देना होगा ।

54. विकलांग बच्चों को प्रवेश के लिये क्या प्रावधान हैं ?

इस प्रावधान में विकलांग बच्चों का प्रवेश डी.जी. वर्ग में अन्य बच्चों की तरह ही 25% आरक्षण में ही होगा बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से विकलांग बच्चों के 3% आरक्षण के तहत साल भर में कभी भी दाखिला होगा ।

55. प्रवेश हो जाने पर विकलांग बच्चों के स्कूल आने जाने की क्या सुविधा होगी ?

आने जाने की सुविधा स्कूल करेगा ।

56. स्कूल में विकलांग बच्चों को किस तरह की सुविधाएँ और सहायता मिलेगी ?

विकलांग बच्चों को बच्चों की विभिन्न प्रकार की विकलांगता के हिसाब से पढ़ने, आने-जाने , बैठने-उठाने , सुनाने-समझाने के लिये सुविधाएं व सामग्री होगी, जैसे- ब्रेल, सुनने का यन्त्र, देखने का यन्त्र, पढ़ने का यन्त्र, सुविधाजनक कुर्सी मेज, आने जाने की व्हील चेयर, रेलिंग, शौचालय इत्यादि की सुविधा मिलेगी ।

57. क्या विकलांग बच्चों के लिये अलग शिक्षक होगा ?

विकलांग बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से बच्चों को स्पेशल शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी ।

58. क्या 25% बच्चों के लिये अलग से कक्षाएं चलेगी ?

इस प्रावधान में दाखिल बच्चों की कक्षा सभी अन्य बच्चों के साथ ही चलेगी अलग नहीं ।

59. क्या बच्चा अच्छी तरह से पढाई कर सके इसके लिये अलग से ट्यूशन लगनी पड़ेगी ?

दाखिले के बाद स्कूल में बच्चे अच्छी तरह पढाई कर सकें व अच्छी तरह सीखें ये स्कूल की ज़िम्मेदारी होगी इसके लिये स्कूल बच्चे के लिये अतिरिक्त कक्षा भी चलानी होगी ।

60. बच्चों के साथ वर्ग, जाति, लिंग, विकलांगता या अन्य पहचान आधारित भेदभाव तो नहीं होगा ?

किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरह का धार्मिक, जातिगत, लिंग आधारित, विकलांगता या किसी भी पहचान से सम्बंधित भेदभाव नहीं होगा और इसको सुनिश्चित करना स्कूल की ज़िम्मेदारी होगी !

61. क्या इन निजी स्कूलों में पढ़ाने के लिए अभिभावकों को अंग्रेजी सिखानी होगी ?

अभिभावक अपनी ही भाषा में बातचीत कर सकते हैं और स्कूल को भी हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओ का प्रयोग करेंगे जिससे सभी उपस्थित अभिभावक सभी बातें समझ सकें ।

सम्बंधित प्रावधान पर कार्य करने व् सहियोग देने वाली संस्थाएं

- लेबर एजूकेशन डिवेलपमेंट सोसाइटी, पश्चिम पटेलनगर, नई दिल्ली- **9999649125 / 7053463678**
- नई उमंग नई सोंच, शाहदरा ,जाफराबाद , उत्तरपूर्वी दिल्ली- **9599026835**
- फोर बी फाउंडेशन - कुसुमपुर पहाड़ी, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली- **9971883831**
- सेन्टरफॉर सोशल डिग्निटी, रोहिणी, उत्तरी दिल्ली- **9811538393**
- आइडियल यूथ एकेडमी- करोलबाग, सेन्ट्रल दिल्ली- **8860006817**
- पारदर्शिता, नई सीमापुरी, पूर्वी दिल्ली- **9711630114 / 011-22356476**
- जोश- कल्यानपुरी, पूर्वी दिल्ली- **7042240891**
- अर्थआस्था ,कालका जी. नई दिल्ली - **011-2644 9029**
- असोसियेसन ऑफ़ सोशल रिसर्च एंड जस्टिस ,खिचड़ीपुर, पूर्वीदिल्ली- **9873176763**

दिल्ली जिला निदेशक कार्यालय के पते

उप-शिक्षा निदेशक- उत्तरी जिला	लखनऊ रोड, तिमारपुर, दिल्ली, 110054
उप-शिक्षा निदेशक- उत्तरी पश्चिमी (A)	BL ब्लाक, शालीमारबाग़, दिल्ली, 110088
उप-शिक्षा निदेशक- उत्तरी पश्चिमी (B)	FU ब्लाक , प्रीतमपुरा, दिल्ली -110088
उप-शिक्षा निदेशक- पश्चिम जिला (A)	Govt Co-Ed.Sr.Sec.School, कर्मपुरा, न्यूमोतीनगर, दिल्ली -110015
उप-शिक्षा निदेशक- पश्चिम जिला (B)	Govt Boys.Sr.Sec.School-1, G ब्लाक, विकासपुरी, दिल्ली-110018
उप-शिक्षा निदेशक- दक्षिण-पश्चिम (A)	सी 4, वसंत विहार टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के पीछे ,दिल्ली-110037
उप-शिक्षा निदेशक- दक्षिण-पश्चिम (B)	Govt Boys.Sr.Sec.School-1, नज़फगढ़ , नई दिल्ली -110043
उप-शिक्षा निदेशक- दक्षिण जिला	Govt Boys.Sr.Sec.School, सेक्टर-3 ,आर.के.पुरम. नई दिल्ली -110022
उप-शिक्षा निदेशक- सेन्ट्रल / नईदिल्ली	प्लाट न.5, ओल्ड भारतीय महिला कालेज बिल्डिंग, झंडेवालान, नई दिल्ली- 110055

ज्यादातर इस्तेमाल किये जाने वाले संकेताक्षर

आर.टी.ई.एक्ट / R.T.E. Act.- शिक्षा अधिकार अधिनियम का

सेक्श.–12/Sec.-12–धारा 12

ई.डब्लू.एस./E.W.S.- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

डी.जी./D.G.– वंचित वर्ग

एस.सी./S.C.– अनुसूचित जाति

एस टी/S.T.– अनुसूचित जन जाति

ओ.बी.सी./O.B.C.– अन्य पिछड़ा वर्ग

वी.जे.एन.टी./ V.J.N.T.– विमुक्तजाति और खानाबदोश जनजातियों

एन. सी. आर. टी./– N.C.E.R.T.–राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

एन.टी./N.T. – अधिसूचित खानाबदोश जनजाति

डी.एन.टी./ D.N.T. – गैर–अधिसूचित खानाबदोश जनजाति

एस.एम.सी/ S.M.C.– स्कूल प्रबंधन समिति

पी.एम.टी./P.M.T.– अभिभावक शिक्षक बैठक

सी.एस.ओ./C.S.O. – नागरिक समाज संगठन

सी.एल.ओ./C.L.O.– समुदाय आधारित नेतृत्व संगठन

डी.डी.ई./D.D.E.–जिला शिक्षा शिक्षा निदेशक

बी.ई.ओ./B.E.O.– ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

बी.ई.ई.ओ/B.E.E.O. — ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी

बी.पी.एल./B.P.L. –गरीबी रेखा से नीचे

ए.पी.एल./A.P.L.– गरीबी रेखा से ऊपर

एम.डी.एम./M.D.M.– मध्याह्न भोजन

डी.आई.एस.ई./D.I.S.E.– शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली

डी.पी.एस.पी./D.P.S.P. –राज्य के प्रधान नीति के निर्देश

एम.आई.एस./M.I.S.– मिशन प्रबंधन सूचना प्रणाली

जी.आर.एम./G.R.M.– शिकायत निवारण तंत्र

जी.आर./G.R.– शिकायत निवारण

आर. टी. आई./R.T.I.– सूचना का अधिकार

एन.सी.पी.सी.आर./ N.C.P.C.R.–बाल अधिकार के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग

एस.सी.पी.सी.आर./S.C.P.C.R. – बाल अधिकार के संरक्षण के लिए राज्य आयोग

एस.एस.ए./S.S.A.– सेवा शिक्षा अभियान

ए.एस.ई.आर./A.S.E.R.– वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट

एम.एच.आर.डी./M.H.R.D.– मानव संसाधन विकास मंत्रालय

एन.जी.ओ./N.G.O.– गैर सरकारी संगठन

एन.आई.सी./N.I.C.– राष्ट्रीय सूचना केंद्र

ओ.सी./O.C.– अन्य श्रेणी

पी.आई.ओ./P.I.O.– जन सूचना अधिकारी

पी.आई.एल./P.I.L.–सार्वजनिक हित मुकदमा

आर.ई.पी.ए./R.E.P.A.– शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

एस.बी.सी./S.B.C.–विशेष पिछड़ा वर्ग

एस.डी.एम./ S.D.M.– उप जिला मजिस्ट्रेट

डब्लू.एच.ओ./ W.H.O.– विश्व स्वास्थ संगठन

जे.जे एक्ट/J.J.Act. – किशोर न्याय अधिनियम

एस.सी.एस.टी.पीओ.एक्ट./ SC.ST.PO.Act.–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम

उपयोगी वेबसाईटो की सूची

गूगल सर्च	https://www.google.co.in/
दिल्ली शिक्षा निदेशालय	http://www.edudel.nic.in/
दिल्ली शिक्षा पब्लिक परिपत्र (सर्कुलर)	http://www.edudel.nic.in/mis/misadmin/DoeNewPublicCircular.htm
दिल्ली आवेदन हेतु	http://edustud.nic.in/mis/studentadmission/webform1.aspx
दिल्ली के अल्पसंख्यक स्कूलों की सूची	http://www.edudel.nic.in/upload_2015_16/MinoritySchools.pdf
दिल्ली ई.डब्लू.एस./ डी.ए दाखिला प्रक्रिया	http://www.edudel.nic.in/mis/misots/ews/frmPublicInformationEws.aspx
दिल्ली ई.डब्लू.एस./ डी.ए दाखिला रिपोर्ट	http://www.edudel.nic.in/mis/Payroll/frmReportewsdgentrydistwise.aspx
जिला शिक्षा निदेशक के पता व संपर्क दिल्ली	http://www.edudel.nic.in/welcome_folder/dde_address_dt_18062014.pdf
दिल्ली शिक्षा कानून 2009 शिकायत निवारण तंत्र	http://www.edudel.nic.in/welcome_folder/gravences_dt_25042014.htm
सूची सरकारी जमीन धारक प्राइवेट स्कूल दिल्ली	http://www.edudel.nic.in/welcome_folder/424_dt_230509/Page.htm
सूचना का अधिकार अधिकारिक (आर टी आई)	http://rti.gov.in/
स्कूल रिपोर्ट कार्ड	http://schoolreportcard.in/SRC-New/
राष्ट्रीय सलाहकार परिषद्	http://nac.nic.in/
यूनिसेफ इंडिया	http://www.unicef.org.india/
जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डी.आई.एस.ई.)	http://www.dise.in/
शिक्षा योजना अन्तर्राष्ट्रीय संसथान	http://www.iiep.unesco.org/
सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की सूची	http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/DOIT_Education/education/home/about+us/list+of+government+aided+school

सर्व शिक्षा अभियान	http://ssa.nic.in/
एस.सी.पी.सी.आर की राज्यवार सूची	http://www.ncpcr.gov.in/scpcr.htm
राज्य मौखिक प्रशिक्षण एवं शोध परिषद्	http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_scert/Scert+Delhi/Home/
राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.)	http://ncpcr.gov.in/
एन.सी.पी.सी.आर का शिक्षा संभाग	http://rtemonitoringcell.info/
राष्ट्रीय शिक्षा शोध एवं परिषद् (एन.सी.ई..आर.टी.)	http://www.ncert.nic.in/
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.)	http://mhrd.gov.in/
राष्ट्रीय शिक्षा पोर्टल	http://india.gov.in/citizen/education.php
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	www.ncsc.nic.in/
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	www.ncm.nic.in/
दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग	www.delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_dmc/DMC/Home/
भारत सरकार में शिकायत निवारण तंत्र	www.pgportal.gov.in/

The Centre for Social Equity and Inclusion (CSEI) is concerned with deepening democracy and developing our body politic by enhancing the enjoyment by excluded communities of their social, economic and cultural (SEC) rights. Three decades of rights-based development work by CSEI members in terms of community mobilizing, networking, research and campaigning forms the impetus behind the establishment of CSEI in 2009. We recognize the widespread prevalence of exclusion and discrimination against Dalits, Tribal, Muslims and other socially excluded communities in our society, and the specific vulnerabilities of women, children and youth within these communities, as regards access to education, employment and governance. Poverty, disability, physical/geographic in-accessibility, forms of illnesses and other context specific characteristics make the picture more complex, demanding sustained efforts in unravelling and addressing exclusion independently and interjectionally. CSEI therefore undertakes advocacy-oriented research, social equity audits, policy advocacy and the piloting of model interventions with members of excluded communities in the critical areas of education and employment. Embedded in the experiences of excluded communities, CSEI works to bring together all relevant stakeholders: the excluded communities, state actors, civil society organizations, corporate sector and others. Consistent interventions in the above areas are undertaken through the CSEI Bihar office.

Centre for Social Equity & Inclusion(www.csei.org.in)

National Office

#2157/A, Sarthak Building, Guru Arjun Nagar
Near Shadipur Metro Station, Delhi –110008
Phone : 011-25705650 ; Email: annie@cseiindia.org.in

State Office

C/OBihar Dalit VikasSamiti, Administrative Office
Rukunpura, Bailey Road, Near Singh Petrol Pump
Patna-800 014, Bihar, INDIA
Mob: +91 9631170145

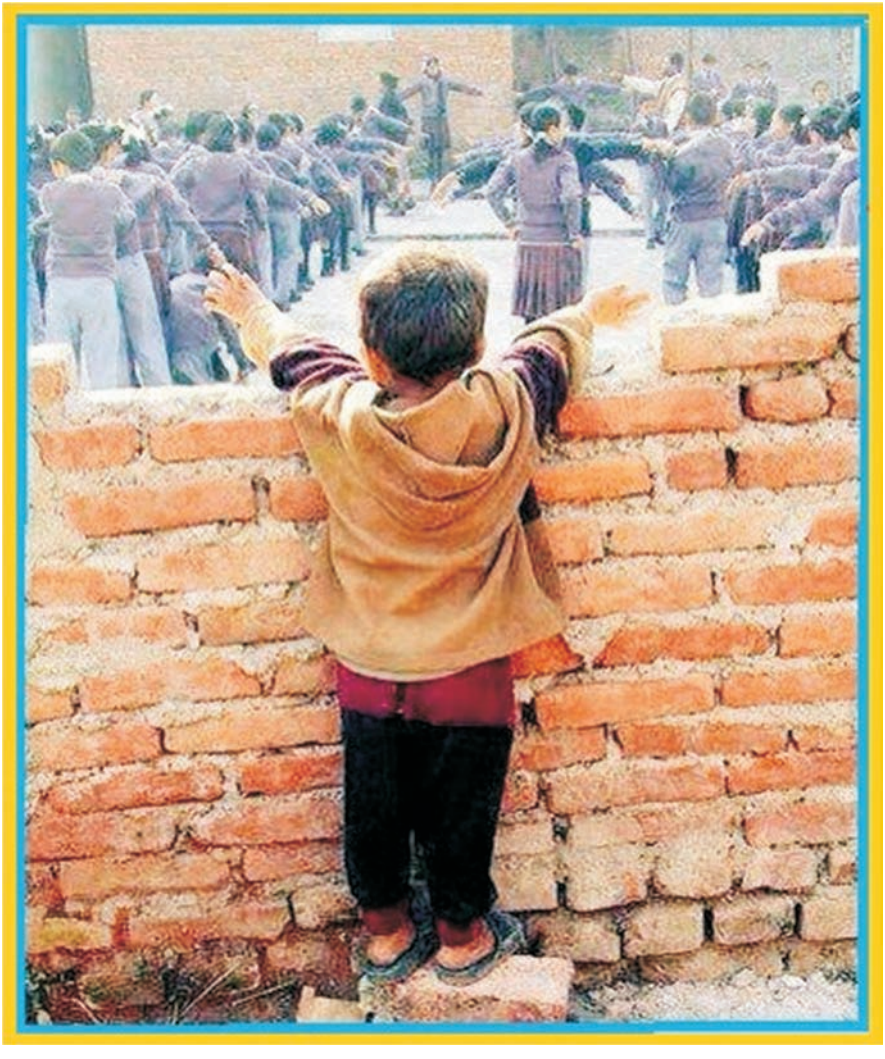

Centre for Social Equity & Inclusion, New Delhi